एससी/एसटी एक्ट व मारपीट/हमला के मुकदमे में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध चाकू बरामद

श्रावस्ती (विधान केसरी) बुधवार को पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में जनपद श्रावस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्द्रकेश सिंह* एवं क्षेत्राधिकारी इकौना आलोक सिंह* के पर्यवेक्षण में थाना गिलौला पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 061/2026 धारा 190, 191(2), 191(3), 109, 118(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3(1) द,ध, 3(2)श एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण – थाना गिलौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 061/2026 से संबंधित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए तिलकपुर नहर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्तियों को घेरकर पकड़ा गया। पूछताछ एवं सत्यापन के उपरांत अभियुक्तों की पहचान मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तों के रूप में हुई, जिन्हें दिनांक 30.04.2026 को गिरफ्तार किया गया।अभियुक्त हरीराम मौर्य की निशानदेही पर दिनांक 01.05.2026 को घटनास्थल भिखारीपुर मसढ़ी से घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध चाकू बरामद किया गया, जिसके

आधार पर मुकदमे में धारा 238 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। गिरफ्तारी के दौरान सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. हरीराम मौर्या पुत्र राधेश्याम मौर्य
2. मोहित मौर्या पुत्र साधूराम मौर्य
3. काशीराम उर्फ रोहित पुत्र राधेश्याम

निवासीगण भिखारीपुर मसढ़ी थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती।

गिरफ्तारी का स्थान गिलौला बाईपास के तिलकपुर नहर पुलिया के पास से

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष आशीष कुमार थाना गिलौला
2. उ0नि0 मंदीप यादव
3. हे0का0 सुनील गुप्ता
4. का0 परविन्द कुमार
5. रि0आरक्षी विक्रान्त त्रिपाठी
6. रि0आरक्षी रवि कन्नौजिया